न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 14/2020

रहमो पत्नि कमरूद्दीन जाति मेव निवासी ग्राम कठौल तहसील पहाडी

प्रार्थीया

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश बुन्देला वकील प्रार्थी

दिनांक :— 03/05/2024

निर्णय

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 517/0.12, 518/0.62 तथा साविक खसरा नम्बर 366 मिन/0.74 हैक्टर बांके ग्राम कठौल तहसील पहाडी में स्थित है। प्रार्थीया की उक्त आराजी मुताविक पूर्व नक्शा व मौके अनुसार बिल्कुल ठीक है लेकिन नवीन नक्शा सीट के अनुसार नये खसरा नम्बर 518/0.62 की पैमाईश की गई तो नवीन नक्शा सीट के अनुसार उक्त रकबा कम बैठता है जबकि मौके पर रकबा पूरा है। ऐसी स्थिति में नवीन नक्शा सीट में दर्शित खसरा नम्बर 518 का नक्शा पैमाने के अनुसार राजस्व कर्मचारियों द्वारा उसकी डौलबन्दी सही नहीं की गई जो एक बडी भूल गलती है जिसकी वजह से प्रार्थीया को बहुत बडा नुकसान होने का पूरा—पूरा अंदेशा बना हुआ है जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से न हो सकेगी। ऐसी स्थिति में नवीन नक्शे में मेड बन्दी के पैमाने को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया के खसरा नम्बर 518/0.62 की नवीन नक्शा सीट में मेड बन्दी पैमाने को मौके व पूर्व की नक्शा सीट के अनुसार न्यायहित में नवीन नक्शे में पैमाने के अनुसार कम है उसे पूरा कर नवीन नक्शे को दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 517/0.12, 518/0.62 साविक खसरा नम्बर 377 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा से बने है खसरा नम्बर 518 का रकबा जमाबन्दी के मुताबिक 0.62 हैक्टर है जबकि नवीन नक्शा सीट के मुताबिक क्षेत्रफल 0.21

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

हैक्टर कम है। आराजी खसरा नम्बर 518 की मेड से सटे खसरा नम्बरान के नक्शा सीट से गणना करने पर खसरा नम्बर 507 का राजस्व रिकॉर्ड में क्षेत्रफल 0.49 हैक्टर है जबकि नवीन नक्शा सीट की पैमाईश गणना अनुसार रकबा 0.65 हैक्टर बनता है तथा खसरा नम्बर 509 का क्षेत्रफल राजस्व रिकॉर्ड में 0.10 हैक्टर है जबकि नवीन नक्शा सीट की पैमाइश अनुसार रकबा 0.12 हैक्टर बनता है तथा खसरा नम्बर 520 का क्षेत्रफल राजस्व रिकॉर्ड में 0.36 हैक्टर है जो नवीन नक्शा सीट के अनुसार 0.45 हैक्टर बनता है।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट तथा दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 518 का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में 0.62 हैक्टर के अनुसार मौके पर भी 0.62 हैक्टर पर कब्जा है लेकिन नवीन नक्शा सीट के अनुसार पैमाइश हेतु गणना करने पर 0. 21 हैक्टर कम बैठता तथा पडौसी खसरा नम्बर 507 का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में 0.49 हैक्टर लेकिन नवीन नक्शा सीट के अनुसार 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 509 का राजस्व रिकॉर्ड में 0.10 हैक्टर जबकि नवीन नक्शा सीट में रकबा 0.12 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 520 का रकबा राजस्व रिकॉर्ड 0.36 हैक्टर जबकि नक्शा सीट में 0.48 हैक्टर बनता है ।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार पहाडी की रिपोर्ट अनुसार हम आराजी खसरा नम्बर 518 का रकबा 0.62 हैक्टर जो राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है के अनुसार नवीन नक्शा सीट में दुरूस्ती करना उचित समझते है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीया व पडौसी खातेदारान का रकबा नवीन नक्शा सीट में प्रार्थीया के खसरा नम्बर 518 को पूर्ण करते हुये दुरूस्ती की जावे दुरूस्ती के समय याद रहे कि किसी पडौसी काश्तकार का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबा से नवीन नक्शा सीट में पैमाइश गणना अनुसार कम ना हो । निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner